

झारखण्ड सरकार  
परिवहन विभाग  
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

॥ प्रेस विज्ञप्ति ॥

मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-234/CS/Res, दिनांक-12.05.2021 के अनुसार "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" के तहत दिनांक-16.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे से दिनांक-27.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक राज्य में निजी वाहनों/व्यवसायिक वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को E-Pass, वैध फोटो पहचान पत्र तथा रेल अथवा हवाई यात्रा करने की स्थिति में वैध टिकट साथ में रखना आवश्यक होगा। E-Pass- [epassjharkhand.nic.in](http://epassjharkhand.nic.in) portal से प्राप्त किया जा सकेगा।

उक्त के आलोक में सभी यात्रियों/वाहन चालकों/वाहन मालिकों से अनुरोध है कि उक्त portal से E-Pass प्राप्त करने के उपरान्त ही यात्रा करें।

  
सचिव, 13/05/2021  
परिवहन विभाग।